न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 14/2021

रूड़मल आयु 65 वर्ष पुत्र सूरजाराम जाति खाती, निवासी बसई, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुंझुनू ।

—रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम रूड़मल अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 161/2019 निर्णय दिनांक 23—01—2020

उपस्थितिः—

1 .श्री विजयपाल, एडवोकेट ——— ——————— ———————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ——————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 12.10.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.01.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रूड़मल मु0 नं0 161/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – आवेदक को आराजी हाल खसरा नंबर 956/918 रकबा 0.81 हैक्टर सरहद मौजा बसई किस्म गैर मुमकिन टीला पर 250 वर्ग मीटर भाग पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली करने व 50 रू के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा पूर्वजों के समय से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पहले का है। आवेदक के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । वास्तविक रूप से मौके पर जमीन राजकीय नहीं है। आवेदक भूमिहीन व्यक्ति है। तथाकथित अतिक्रमण रिपोर्ट एक पक्षीय है। अतिक्रमण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.12 17:42:47 IST
Reason: SelfAttested

की लम्बाई–चौड़ाई अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील आवेदक मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को नियमन की सिफारिश के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश दिये जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा पूर्वजों के समय से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पहले का है। आवेदक के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधाान लागू नहीं होते हैं । वास्तविक रूप से मौके पर जमीन राजकीय नहीं है। आवेदक भूमिहीन व्यक्ति है। तथाकथित अतिक्रमण की रिपोर्ट एक पक्षीय है। अतिक्रमण की लम्बाई–चौड़ाई अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील आवेदक मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को नियमन की सिफारिश के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश दिये जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलांट ने ग्राम बसई की राजकीय भूमि खसरा नंबर 956/918 के रकबा 0.81 हैक्टर में से रकबा 250 वर्गमीटर किस्म गैर टीला में गोबर डालकर व पशुओं का बाड़ा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश दिनांक 23.01.2020 पारित किया गया है। पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। हल्का पटवारी बसई की रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.12 17:42:47 IST
Reason: SelfAttested

के अनुसार ग्राम बसई की राजकीय भूमि खसरा नंबर 956/918 के रकबा 0.81 हैक्टर में से रकबा 250 वर्गमीटर किस्म गैर टीला में गोबर डालकर व पशुओं का बाड़ा बनाकर अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया जाना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2020 उनवानी सरकार बनाम रूड़मल मु0नं0 161/2019 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

12.10.2021
अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.12 17:42:47 IST
Reason: SelfAttested